राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 697/2025

रामावतार यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीकर।
4. प्रधानाचार्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, नीम का थाना, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 06.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : **श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता**
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **श्री संजीव सिंघल, केवियटर**

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभिक रूप से वर्ष 2009 में गंगानगर जिले में नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक गंगानगर जिले में हार्ड ड्यूटी के रूप में कार्य किया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को आदेश जारी किया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को जिला अस्पताल, नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान) से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग ने जिला अस्पताल, नीम का थाना, जिला सीकर से दिनांक 18.01.2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थीगण ने वर्ष 2012 में एक आदेश जारी किया जिसके तहत अपीलार्थी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारगढ़, गंगानगर से जिला अस्पताल नीम का थाना, जिला सीकर में

स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी हृदय रोग से पीड़ित है। अपीलार्थी के हृदय की नसों में 100 प्रतिशत ब्लॉकेज के कारण स्टेंट लगाया गया था। अपीलार्थी नियमित रूप से हृदय रोग विशेषज्ञ के पास उपचाराधीन है। अपीलार्थी को हार्ट अटैक आने की बहुत संभावना है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध हैं, इसलिए अपीलार्थी पर अपने वृद्ध माता–पिता की पारिवारिक जिम्मेदारी है। प्रत्यर्थी संख्या 2 केवल निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पद पर है तथा उसके पास पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग में अपर निदेशक (प्रशासन) का कोई पद नहीं है, क्योंकि जब उसने नर्सिंग अधिकारी की नियुक्ति का आदेश जारी किया था, तब उसमें यह उल्लेख था कि वह केवल निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है। उसने 15.01.2025 को अनेक आदेश पारित किए, लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि वह अपर निदेशक (प्रशासन) के पद पर पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग में कार्यरत है। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी कोई अधिशेष कर्मचारी नहीं है तथा वह लगातार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम कर रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसकी वर्तमान नियुक्ति स्थान अर्थात जिला अस्पताल, नीम का थाना, जिला सीकर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ही निरंतर कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य